संख्या:- 85/65-2 - 2011-95(विविध)/2005 टी0सी0

प्रेषक,

राज प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

विकलांग कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक: 31 मई, 2011

विषय:- नेशनल ई-गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत स्टेट सर्विस डिलिवरी गेटवे/ई-फार्म्स योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में विभाग की विभिन्न सेवाओं को कामन सर्विस सेन्टर (जन सेवा केन्द्र)/लोकवाणी केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नेशलन ई-गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों के ग्रामीण अंचलों में स्थापित किये जा रहे कॉमन सर्विस सेन्टर-सी0एस0सी0 (जन सेवा केन्द्र)/लोकवाणी केन्द्रों के माध्यम से विभाग की निम्नलिखित सेवाओं को इलेक्ट्रानिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा उपलब्ध कराये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है:-

क- विकलांग व्यक्ति द्वारा ऋण हेतु आवेदन।

ख- विकलांग व्यक्ति के विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए आवेदन।

ग- विकलांग व्यक्ति द्वारा संयत्रों आदि के कय हेतु सहायता के लिये आवेदन।

उक्त सेवाओं के लिये संलग्नक के अनुसार व्यवस्था लागू की जाती है।

2-उपरोक्त नवीन व्यवस्था के अन्तर्गत संदर्भित सेवाएं इलेक्ट्रानिक डिलीवरी सिस्टम से आम जन. मानस को उपलब्ध करायी जायेंगी। इस हेतु आवश्यक है कि इन सेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु जनपद स्तर के सक्षम अधिकारियों के पास डिजिटल सिग्नेचर हों। ऐसे अधिकारियों को डिजिटल सिग्नेचर एन0आई0सी0 द्वारा उपलब्ध कराये जायेगे, जिसके लिये जनपद स्तर के सम्बन्धित अधिकारियों को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करते हुये सक्षम स्तर से प्रमाणित एवं अग्रसारित कराते हुये एन0आई0सी0 को उपलब्ध कराना होगा। इस हेतु जिला स्तर पर एन0आई0सी0 के

2/-

जिला सूचना विज्ञान अधिकारियों (डी0आई0ओ0) से सम्पर्क स्थापित कर सहायता प्राप्त की जा सकती है। सेवा से सम्बन्धित अधिकारी के स्थानान्तरण के उपरान्त डिजिटल सिग्नेचर में परिवर्तन के लिए आवश्यक प्रक्रिया जनपद स्तर के अधिकारियों को ही करनी होगी, जिसके लिये सम्बन्धित जनपद के डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0 से सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

3- कृपया तद्नुसार शीघ्र आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

(राज प्रताप सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 85(1)/65-2-2011-95(विविध)/2005 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निदेशक, विकलांग कल्याण विभाग, उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
4. राज्य समन्वयक, सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स, उ0प्र0।
5. उप महानिदेशक एवं एस0आई0ओ0, एन0आई0सी0, उ0प्र0।
6. उप निदेशक, विकलांग कल्याण (समस्त मण्डल), उ0प्र0।
7. समस्त जिला विकलांग कल्याण अधिकारी को इस आशय से कि वे शासनादेश की व्यवस्थाओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0एन0उपाध्याय)
विशेष सचिव।

संलग्नक

नेशनल ई-गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे/ई-फार्म्स योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में विकलांग कल्याण विभाग की विभिन्न विभागीय सेवाओं को कामन सर्विस सेन्टर (जन सेवा केन्द्र)/ लोकवाणी केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने की प्रकिया।

(१) अन्य ऋण/अनुदान सम्बन्धित सेवायें।

क. विकलांग व्यक्ति द्वारा ऋण हेतु आवेदन।

ख. विकलांग व्यक्ति के विवाह प्रोत्साहन /पुरस्कार के लिये आवेदन।

ग. विकलांग व्यक्ति द्वारा संयत्रों आदि के कय हेतु सहायता के लिये आवेदन।

1. उक्त तीनों सेवाओं के लिए निम्नलिखित प्रकिया अनुसार कामन सर्विस सेन्टर/लोकवाणी केन्द्र पर उक्त तीनों ऋण/अनुदान/सहायता सम्बन्धित सेवाओं के लिए आवेदन प्राप्त किए जाएंगे तथा उन्हें सम्बन्धित केन्द्र के आपरेटर द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिला विकलांग अधिकारी को प्रेषित कर दिया जाएगा।

ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के लिये केन्द्र पर आवेदन देने/स्वीकार किये जाने की प्रक्रिया

(i) अभ्यर्थी को अपने निकटतम कामन सर्विस सेन्टर/लोकवाणी केन्द्रों में जाकर केन्द्र के आपरेटर को एक निर्धारित प्रारूप पर (जो कि आपरेटर के पास उपलब्ध रहेगा) सेवा हेतु अनुरोध करना होगा।

(ii) अभ्यर्थी को अपने पहचान से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र केन्द्र के आपरेटर को प्रस्तुत करना होगा। केन्द्र के आपरेटर द्वारा सभी आवश्यक विवरण, अभ्यर्थी से प्राप्त करने के उपरान्त सेवा से सम्बन्धित ई-फार्म में भरा जाएगा। इसमें आयु, परिवार का विवरण एवं आवेदक का बी.पी.एल. क्रमांक दर्ज होगा।

(iii) अभ्यर्थी द्वारा दिए गए अभिलेखों को केन्द्र के आपरेटर द्वारा स्कैन किया जाएगा। केन्द्र के आपरेटर द्वारा अभ्यर्थी की फोटो भी वेब कैमरा द्वारा लिया जाएगा।

(iv) फार्म में सभी प्रविष्टियों को पूर्ण करने के उपरान्त केन्द्र के आपरेटर द्वारा आवेदक को उसका प्रिन्ट आउट पुष्टि के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

(v) अभ्यर्थी द्वारा फार्म में उल्लिखित सभी प्रविष्टियों को चेक कर उसकी पुष्टि की जाएगी; फार्म पर प्रविष्टियाँ सही पाए जाने पर आवेदक अपने हस्ताक्षर करेगा या अपने अंगूठे का निशान लगाएगा। केन्द्र के आपरेटर द्वारा आवेदक को कम्प्यूटर द्वारा जनरेटर एक पावती रसीद (acknowledgement) जिस पर एक यूनिक नम्बर अंकित होगा जिसका उपयोग आवेदक द्वारा भविष्य के संदर्भ के लिए किया जाएगा, केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

(vi) कामन सर्विस सेन्टर/लोकवाणी केन्द्रों द्वारा सेवा हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदक द्वारा दी गयी सूचनाओं को ई-फार्म्स एप्लीकेशन के माध्यम से इलेक्ट्रानिक विधि से ई-फार्म पोर्टल साफ्टवेयर का प्रयोग करते हुये सम्बन्धित सक्षम अधिकारी/कार्यालय कार्यालय (नगरीय क्षेत्र के लिए उपजिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट को तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए खण्ड विकास अधिकारी) को प्रेषित किया जाएगा।

2. सम्बन्धित जिला विकलांग कल्याण अधिकारी ई-फार्म एप्लीकेशन पोर्टल में अपने एकाउन्ट को लाग-आन करेंगे तथा आवेदन पत्र को आन-लाईन स्वीकार करते हुए उसका प्रिन्ट आउट निकालेंगे। इस प्रिन्ट आउट पर आवश्यक निर्देश के साथ सम्बन्धित अधिकारी जिनके द्वारा सेवा की प्रोसेसिंग की जानी है, को आवश्यक निर्देशों के साथ प्रेषित करेंगे तथा ई-फार्म्स पोर्टल पर आवेदन की अद्यतन स्थिति अपडेट करेंगे।

3. आवेदक द्वारा किए गए आवेदन पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जो भी निर्णय लिया जाएगा (स्वीकृति अथवा अस्वीकृति की स्थिति स्पष्ट कारण अंकित करते हुए), को ई-फार्म्स पोर्टल पर सम्बन्धित आवेदन के सापेक्ष अपडेट करेंगे ताकि आवेदक अपने आवेदन की स्थिति पोर्टल के माध्यम से किसी भी कामन सर्विस सेन्टर/लोकवाणी केन्द्र से ज्ञात कर सकें।

4. उक्त सेवाओं के लिए स्वीकृति अथवा अस्वीकृति की स्थिति में यदि कोई पत्र/प्रमाणपत्र निर्गत किया जाता है तो उसके लिए आवश्यक होगा कि सम्बन्धित जिला विकलांग कल्याण अधिकारी अथवा अन्य अधिकृत सक्षम अधिकारी ई-फार्म्स पोर्टल पर डिजिटल सिग्नेचर द्वारा स्वीकृति/अस्वीकृति अंकित करते हुए सम्बन्धित कामन सर्विस सेन्टर/लोकवाणी केन्द्र को प्रेषित करेंगे। आवेदक सम्बन्धित कामन सर्विस सेन्टर/लोकवाणी केन्द्र जाकर अपने आवेदन का संदर्भ संख्या देते हुए सम्बन्धित पत्र/प्रमाणपत्र जो कि डिजिटली हस्ताक्षरित होगा, प्राप्त कर सकते हैं।